10/7/22 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी दोनों अनुपस्थित। न्यायालय समय से तीन घंटे तक रुक कर आवाज लगवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं। साक्ष्य हेतु भी पूर्व में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने पर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। अतः वाद अंतर्गत आदेश 17 नियम 2 सी.पी.सी. के स्वामित्व में खारिज किया जाता है। पक्षगण के मध्य मुकदमा खर्चा वाबिल वसूल होगा।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़